

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक  
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## (असाधारण)

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 341]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 4 अगस्त 2017 — श्रावण 13, शक 1939

वाणिज्यिक कर विभाग  
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर  
नया रायपुर, दिनांक 31 जुलाई 2017

### शुद्धिपत्र

क्रमांक एफ-10-58/2017/वाक/पांच (99). — छत्तीसगढ़ के राजपत्र (असाधारण) में, क्रमांक 252 तारीख 29 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना सं. 1/2017-राज्य कर (दर) तथा अधिसूचना क्रमांक एफ-10-43/2017/वाक/पांच(69), तारीख 28 जून, 2017 में,-

(क) अनुसूची में 1-2.5%,-

- (i) क्रम सं0 59 में, स्तंभ(3) में “1106 10 90” के स्थान पर “0713” पढ़ा जाये;
- (ii) क्रम सं0 61 में, स्तंभ (2) में “1106 10 90” के स्थान पर “0713” पढ़ा जाये;
- (iii) क्रम सं0 92 में,-
  - क) स्तंभ (2) में “1702” के स्थान पर “1702 या 1704” पढ़ा जाये;
  - ख) स्तंभ (3) में “पामीरा चीनी” के स्थान पर “पामीरा चीनी, मिश्री, बताश, बुरा” पढ़ा जाये;
- (iv) क्रम सं0 185 में, स्तंभ (3) में “अगरवल्ली” के स्थान पर “अगरवल्ली, लोभान ” पढ़ा जाये;
- (v) क्रम सं0 220 में, स्तंभ (3) में-
  - क) “सैमा” के स्थान पर “सलमा” पढ़ा जाये;
  - ख) “गोटासितारा” के स्थान पर “गोटा, सितारा” पढ़ा जाये;
  - ग) “गलजल” के स्थान पर “गजाई” पढ़ा जाये;

- (vi) क्रम सं0 234 में, स्तंभ (3) में प्रविष्टि (छ) के पश्चात्, स्थापित करें “(झ) में फोटो वाल्टिक सेल्स, चाहे वो मोड्यूल में असेम्बल हों अथवा नहीं अथवा पैनल में बने हों अथवा नहीं”;
- (ख) अनुसूची II-6%,-
- (i) क्रम सं0 14 में, स्तंभ (3) में “छिलका रहित हो या नहीं”, के पश्चात्, स्थापित करें “और शुष्क नारियल”;
- (ii) क्रम सं0 16 में, स्तंभ(3) में “छुआरा” के स्थान पर “ छुआरा (मुलायम या हार्ड)” पढ़ा जाये;
- (iii) क्रम सं0 56 में, स्तंभ (3) में “क्रम संख्या 1(च)” के स्थान पर “क्रम संख्या 1(छ)”, पढ़ा जाये;
- (iv) क्रम सं0 74 में, स्तंभ (2) में “3302” के स्थान पर “3301” पढ़ा जाये;
- (v) क्रम सं0 231 में, स्तंभ (3) में “शीर्षक 9208” के स्थान पर “शीर्षक 9208 या 9705” पढ़ा जाये;
- (ग) अनुसूची III-9%,-
- (i) क्रम सं0 55 में, स्तंभ (3) में “फाउंटेन पेन और बालपेन की स्याही” के स्थान पर “फाउंटेन पेन और बालपेन की स्याही के अलावा” पढ़ा जाये;
- (ii) क्रम सं0 133 में, स्तंभ (3) में “कृत्रिम फर और उसकी वस्तुएं” के स्थान पर “ कृत्रिम फर उसकी वस्तुएं के अलावा” पढ़ा जाये;
- (iii) क्रम सं0 233 में, स्तंभ (3) में “सिलाई की सुइयां” का लोप किया जाएगा;
- (iv) क्रम सं0 247 में, स्तंभ (3) में ‘0.12.5 मिलीमीटर’ के स्थान पर ‘0.15 मिलीमीटर’ पढ़ा जाये;
- (v) क्रम सं0 323 में, स्तंभ (2) में “8522 90” के स्थान पर “8422 90” पढ़ा जाये;
- (vi) क्रम सं0 395 में, स्तंभ (3) में “प्रकाशीय फाइबर” के स्थान पर ‘प्रकाशीय फाइबर केबल’ पढ़ा जाये;
- (vii) क्रम सं0 447 में, स्तंभ (3) में “और अन्य लेखनी” का लोप किया जायेगा;
- (घ) अनुसूची IV-14%,-
- (i) क्रम सं0 158 में, स्तंभ (3) में “प्रकाशिक फाइबर, बंडल या केबलों के लिए संबंधन” के स्थान पर “प्रकाशिक फाइबर, प्रकाशिक फाइबर के बंडल्स या केबल्स” पढ़ा जाये;
- (ii) क्रम सं0 161 में, स्तंभ (3) में “प्रकाशिक फाइबर” के स्थान पर “प्रकाशिक फाइबर केबल्स” पढ़ा जाये;

- (iii) क्रम सं० 215 में, स्तंभ (3) में 'वीडियो गेम कनसोल और मशीने' के स्थान पर 'विडियो गेम्स कंसोल्स और मशीन, आर्टिकल और श्रृंखला विलियार्ड (9504 20 00), अन्य गेम्स जो सिक्के के द्वारा खेले जाते हैं, बैंक नोट्स, केसिनो गेम्स (9504 20 00), और अन्य (9504 90 90 के बोर्ड गेम्स के अलावा)' पढ़ा जाये ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 31 जुलाई 2017

क्रमांक एफ-10-58/2017/वाक/पांच (99). — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अनुसरण में इस विभाग के शुद्धिपत्र क्रमांक एफ-10-58/2017/वाक/पांच(99), दिनांक 31-07-2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

Naya Raipur, the 31st July 2017

#### CORRIGENDUM

No. F-10-58/2017/CT/V (99). — In the Notification of the Government of Chhattisgarh, in the Commercial Tax Department, No.1/2017-State Tax (Rate) and notification No. F-10-43/2017/CT/V (69), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette (Extraordinary) of Chhattisgarh, No. 252, dated the 29<sup>th</sup> June, 2017,-

- (A) In Schedule I-2.5%,-
- (i) in S. No.59, in column (3), for "1106 10 90", read "0713";
  - (ii) in S. No.61, in column (2), for "1106 10 90", read "0713";
  - (iii) in S.No.92,-
    - (a) in column (2), for "1702", read "1702 or 1704";
    - (b) in column (3), for "Palmyra sugar", read "Palmyra sugar, mishri, batasha, bura";
  - (iv) in S.No.185, in column (3), for "Agarbatti", read "Agarbatti, lobhan";
  - (v) in S. No. 220, in column (3),-
    - (a) for "saima", read "salma";
    - (b) for "gotasitara", read "gota, sitara";
    - (c) for "glzal", read "gizai";
  - (vii) in S. No. 234, in column (3), after entry (g), insert "(h) Photo voltaic cells, whether or not assembled in modules or made up into panels";
- (B) In Schedule II-6%,-
- (i) in S.No.14, in column (3), after "shelled or peeled", insert "and desiccated coconuts";
  - (ii) in S.No.16, in column (3), for "Dates", read "Dates (soft or hard)";

- (iii) in S.No.56, in column (3), for “serial number 1(f)”, read “serial number 1(g)”;
- (iv) in S.No.74, in column (2), for “3302”, read “3301”;
- (v) in S.No.231, in column (3), for “heading 9208”, read “heading 9208 or 9705”;
- (C) In Schedule III-9%-
- (i) in S. No. 55, in column (3), for “(Fountain pen ink and Ball pen ink)”, read “(other than Fountain pen ink and Ball pen ink)”;
- (ii) in S. No. 133, in column (3), for “Artificial fur and articles thereof”, read “Artificial fur other than articles thereof”;
- (iii) in S. No. 233, in column (3), omit “Sewing needles”;
- (iv) in S. No. 247, in column (3), for “0.12.5 mm” , read “0.15 mm”;
- (v) in S.No.323, in column (2), for “8522 90”, read “8422 90”;
- (vi) in S. No. 395, in column (3), for “Optical Fiber”, read “Optical Fibre Cable”;
- (viii) in S. No. 447, in column (3), omit “and other pens”;
- (D) In Schedule-IV-14%-
- (i) in S. No. 158, in column (3), for “optical fibres optical fibres, bundles or cables”, read “optical fibres, optical fibre bundles or cables”;
- (ii) in S. No. 161, in column (3), for “Optical Fiber”, read “Optical Fibre Cables”;
- (iii) in S.No.215, in column (3), for “Video games consoles and Machines”, read “Video games consoles and Machines, article and accessories for billiards [9504 20 00], other games operated by coins, banknotes, i.e., casino games [9504 20 00] and others [other than board games of 9504 90 90]”.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,  
A. P. TRIPATHI, Special Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 31 जुलाई 2017

### शुद्धिपत्र

क्रमांक एफ-10-58/2017/वाक/पांच (100). — छत्तीसगढ़ के राजपत्र (असाधारण) में, क्रमांक 252 तारीख 29 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना सं. 2/2017-राज्य कर (दर) तथा अधिसूचना क्रमांक एफ-10-43/2017/वाक/पांच (70) में, तारीख 28 जून, 2017 में, अनुसूची में ,-

- (i) क्रम सं0 59, स्तंभ (2) में, प्रविष्टि “9” के स्थान पर “7, 9 या 10” पढ़ा जाये;
- (ii) क्रम सं0 102, स्तंभ (2) में, प्रविष्टि “2302”, के स्थान पर “2301, 2302” पढ़ा जाये ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.